

प्रति,

श्री अशोक बागुली,  
तय्यारा न्यू गेट,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

विषय में,

शुचियु,  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र 2 तय्यारा केंद्र,  
प्रीति विहार नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 30 अगस्त, 1996

विषय:-


श्री अशोक बागुली, न्यू गेट देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली  
में सम्बद्धता हेतु अनिर्धारित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कल्पे का निर्देश हुआ है कि श्री अशोक बागुली  
न्यू गेट देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली में सम्बद्धता प्रदान किये जाने  
में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपरित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीतावटी का सम्बद्धता पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्णजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यार्थियों में विभिन्न स्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैशेषिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इंडियन स्कूल सर्विसेज इन्कॉर्पोरेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था वैशेषिक एवं शिक्षिततर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षित कर्मचारियों के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अध्यापकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

श्री अशोक बागुली  
तय्यारा न्यू गेट देहरादून  
शिक्षा विद्यालय निरीक्षक  
देहरादून

Attested  
me Coby  
  
Principal  
C. N. 1 Girl's Inter College  
DEHRA DUN

- 17। राज्य सरकार द्वारा तम्र समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
  - 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिष्कारों में रखा जायेगा ।
  - 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेंगे
- 11। विद्यालय में यथा तम्र ईपीओएसो योजना लागू करके ज्ञातन जो अज्ञात कराया जायेगा ।
  - 12। विज्ञान प्रयोगशाला में ध्याख्यान कक्ष तथा पुस्तकालय में अण्डार कक्ष न रहे जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भरतीय,

। अतीक गांगुली ।  
संयुक्त सचिव ।

पू०सं० 3094111/15-7-1996 तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु

जिला विद्यालय निरीक्षक  
देहरादून

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, देहरादून ।
- 3- जिला विद्यालय, निरीक्षक, देहरादून ।
- 4- प्रिन्सिपल, जंगल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, ग्रेट स्कूलमी न्यू गढ़ी कैम्प देहरादून ।

Attested  
the copy



Principal  
C. N. I. Girl's Inter College  
DEHRA DUN

प्राप्त से,

। अतीक गांगुली ।  
संयुक्त सचिव ।

2/1/20